संख्या:116/2025/1010/35-4-2025/35-4002(099)/3/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन,मिर्जापुर,सिद्धार्थनगर,महराजगंज,कौशाम्बी,गाजीपुर,
बस्ती,प्रयागराज,कुशीनगर,अम्बेडकर नगर,सम्भल,रामपुर,फरूखाबाद,
बदायूँ एवं पीलीभीत,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः25 नवम्बर,2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आकांक्षात्मक विकास खण्डों के प्रोत्साहन हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित 108 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में से माह मार्च, 2024 से माह मार्च, 2025 तक की प्रगति के आधार पर ओवरआल डेल्टा रैंकिग तथा विषयगत क्षेत्रवार तैयार की गई डेल्टा रैंकिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आकांक्षात्मक विकास खण्डों को प्रोत्साहन के रूप में रू. 20.00 करोड़ (रूपए बीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

क्र.	मद	आकांक्षात्मक विकास खण्ड - जनपद	धनराशि(करोड़ रू0 में)
1	ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग	जालौन-जालौन	2.50
		रमपुरा-जालौन	1.50
		मडिहान (पटेहरा)- मिर्जापुर	1.00
2	विषयगत क्षेत्र-1 : स्वास्थ्य एवं पोषण	खेसरहा-सिद्धार्थनगर	1.50
		निचलौल-महराजगंज	1.00
		मंझनपुर–कौशाम्बी	0.50
3	विषयगत क्षेत्र-2 : शिक्षा	देवकली-गाजीपुर	1.50
		कुदरहा-बस्ती	1.00
		माण्डा-प्रयागराज	0.50
4	विषयगत क्षेत्र-3 : कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ	विशुनपुरा-कुशीनगर	1.50
		टाण्डा-अम्बेडकर नगर	1.00
		सम्भल-सम्भल	0.50
5	विषयगत क्षेत्र-4 : आधारभूत अवसंरचना	सैदनगर-रामपुर	1.50
		नवाबगंज-फर्रूखाबाद	1.00
		आसफपुर-बदायूं	0.50
6	विषयगत क्षेत्र-5 : सामाजिक विकास	पूरनपुर-पीलीभीत	1.50
		पहाड़ी-मिर्जापुर	1.00
		राजपुरा-सम्भल	0.50
		कुल धनराशि	**रु0 20.00 करोड़**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी विकास खण्ड में क्रिटिकल गैप्स के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों हेतु किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजन/ योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

4- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी ।

5- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

6- वित्तीय वर्ष के अंत में योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची, प्रगति विवरण के साथ जनपद द्वारा नियोजन विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी ।

7- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- कार्यों की भौतिक / वित्तीय प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय / प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक / वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10- क्रिटिकल गैप्स योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-1191/35-4-2007 दिनांक 26 मार्च, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- यथावश्यकता ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी/2017, दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

13- जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी ।

14- अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा अवमुक्त धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15- परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

16- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी ।

17- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

18- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

19- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। स्वीकृत कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा।

20- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री /उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

21- यथावश्यकता द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

22- कार्य स्थल पर क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पटिटका/ बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी हेत प्रदर्शित किये जायेंगे।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार विभागीय संसाधनों से सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 20,00,00,000/- (रुपये बीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्षक 4515008000600 आकांक्षात्मक ब्लाकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्था मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक- 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:116/2025/1010(1)/35-4-2025/35-4002(099)/3/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बन्धित मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. विशेष सचिव, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन-1, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य विकास अधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सम्बन्धित जनपद, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।